

# FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

## जज अदालत तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार ..... बनाम ..... कैलाश

किस्म मुकदमा- भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-22 सन्-2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-22/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10.01.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्बत् 2078 ग्राम मुनापुरा, भूमि ख0न0 462 रकबा 0.04 है0 राजकीय सिवायचक भूमि किस्म बरानी । पर गैरसायल कैलाश पुत्र रामफूल मीना जाति मीना निवासी हण्डू का बास (मुनापुरा) द्वारा बूड़ा डालकर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश होने पर, दर्ज रजिस्टर कर, गैरसायल को राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल अनुपस्थित। गैर सालय द्वारा पूर्व में साधे कागज पर अपना जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अतिक्रमण किया जाना स्वीकर कर अतिक्रमण हटाये जाने पर सहमति व्यक्त की।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 0.32 रुपये का 50 गुणा 16 रुपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखली एवं वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	

रा0 ल0 रा0 4 वर्ष 2078 की  
पू0 सं-14-पर-16 रु क  
मांग कायम की गई।

तहसील राजस्व लेखाका

  
तहसील मण्डावर (दौसा)